उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0नं0-39/2007-08

रंजन प्र0 यादव

बनाम्

अरविन्द प्रसाद मांझी एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 05.08

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का समग्र रूप से अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता रंजन प्रसाद यादव पे0 श्री प्रसाद यादव, सा0–माल करहरिया, थाना–गोड्डा(मु0), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0–02/1998–99 (तेजनारायण मांझी बनाम् रैयान मौजा–माल करहरिया) में दिनांक 12.02.2001 के आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद सं0–2/98–99 आदेश दिनांक–12.01.2001 के द्वारा मौजा–माल करहिया जमाबंदी सं0–31 के अन्तर्गत दाग नं0–114 रकवा 00–03–08 धुर, दाग नं0–129 रकवा 00–03–03 धुर एवं दाग नं0–135 रकवा 00–00–05 धुर कुल रकवा 00–06–16 धुर जमीन धुर जमीन तेजनारायण माँझी के साथ बंदोवस्ती की गयी है।

अपीलकर्त्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता मौजा–माल करहरिया के जमाबंदी रैयत है। उनके दादा के नाम से मौजा–माल करहरिया के जमाबंदी सं0–55 में जमीन अवस्थित है। अपीलकर्त्ता को दिनांक 08.01.2008 को जानकारी प्राप्त हुआ कि उत्तरवादी तेजनारायण मांझी ने मौजा–माल करहरिया के जमाबंदी सं0–31 की जमीन को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से बंदोवस्ती करा लिया है। अपीलकर्त्ता दिनांक 08.01.2008 को गोड्डा आये एवं बंदोवस्ती के संबंध में छानबीन किया तो उन्हें पता चला कि उत्तरवादी ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–02/1998–99 के द्वारा अपने नाम से बंदोवस्ती करा लिया है। पता चलने के बाद उन्होंने वाद का अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया। अपीलकर्त्ता को दिनांक 01.02.2008 को अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त हुआ। उसके उपरांत उन्होंने अपील वाद दायर किया। साथ में उन्होंने काल अवधि को क्षान्त करने के लिए आवेदन भी दाखिल किया है। उनका आगे कथन है

कि उत्तरवादी मौजा–कठौन के जमावंदी रैयत हैं। उनको मौजा–माल करहरिया में ननिहाल में कुछ जमीन प्राप्त हुआ है। जबकि उत्तरवादी मौजा–माल करहरिया के वास्तविक जमावंदी रैयत नहीं है। उन्होंने मौजा–बरमसिया जिला–बांका विहार में भी जमीन खरीदा है। इस प्रकार उत्तरवादी भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि मौजा–में अनुसूचित जाति के भूमिहीन रैयत भी है। लेकिन उत्तरवादी ने विना सही प्रक्रिया अपनाएँ संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम–1949 की धारा के प्रावधान के विपरीत बंदोवस्ती करा लिया है। अपीलकर्त्ता ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए आवेदन किया है। आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी तेजनारायण मांझी की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र अरविन्द माँझी, सुरेन्द्र माँझी एवं भूपेन्द्र माँझी को प्रतिस्थानी पक्षकार वनाया गया। उत्तरवादी का कथन है कि अपील आवेदन में अंकित भूमि मौजा–माल करहरिया जमावंदी नं0–31 के दाग नं0–114 रकवा 00–03–08 धुर, दाग नं0–129 रकवा 00–03–05 धुर एवं दाग नं0–135 रकवा 00–00–05 धुर कुल रकवा 00–06–16 धुर जमीन से संबंधित है। उक्त जमीन वंदोवस्ती फौती होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद सं0–02/98–99 आदेश दिनांक 12.02.2001 के द्वारा उत्तरवादी तेजनारायण मांझी के साथ बंदोवस्ती की गयी थी। बंदोवस्ती विधिवत अंचल अधिकारी, गोड्डा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश करने के बाद की गयी है। उक्त जमीन को फौती घोषित कर बंदोवस्ती आदेश दिनांक 12.02.2001 की जानकारी अपीलकर्त्ता के साथ मौजा के सौलह आना रैयतों की थी। उनका आगे कथन है कि वादगत मौजा–माल कहरिया में कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। चूँकि उत्तरवादी के नाना को कोई पुत्र औलाद नहीं था। इसलिए उत्तरवादी अपने नाना के गाँव में रहते हैं एवं अपने नाना के जमीन पर दखलकार हैं क्योंकि मौजा–कठौन में मात्र उन्हें 10 कट्ठा जमीन हिस्सा में प्राप्त है और अपीलकर्त्ता द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मौजा–बरमसिया जिला–बांका में जमीन खरीदा है, सत्य नहीं है। मौजा–बरमसिया में उनके

पत्नि को ससुराल में जमीन प्राप्त हुआ है। उनका आगे कहना है कि मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, राशनकार्ड, चौकीदारी रसीद, लगान रसीद मौजा–माल करहरिया के नाम से है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का आरोप निराधार है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा नियम के तहत बंदोवस्ती की गयी है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश निरस्त करने योग्य नहीं है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान उत्तरवादी तृतीय पक्षकार मोतीलाल मांझी की मृत्यु उपरांत उनके स्थान पर उनके प्रतिस्थानी पक्षकार का कथन है कि वादगत जमीन मौजा–माल करहरिया जमा0 सं0–31 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बुलका मांझी वल्द नथु मांझी वो जगन मांझी वो धरना मांझी पेशरान लोचन मांझी के नाम से दर्ज है। बुलका उर्फ बुलाकी मांझी ने अपने पुत्री बुधनी का शादी उसी ग्राम–माल करहरिया में किया। बुधनी अपने पिछे एक पुत्र चुल्हाय मांझी को छोड़कर फौत कर गयी। चुल्हाय मांझी का पुत्र मोतीलाल मांझी हुए एवं मोतीलाल मांझी भी अपने पीछे एक पुत्र धनेश्वर मांझी को छोड़कर फौत कर गये। इस प्रकार वे उक्त जमाबंदी नं0–31 के उत्तराधिकारी है एवं लगातार भूमि उसके दखल कब्जा रहा है तथा उक्त जमीन का वे मालगुजारी रसीद भी प्राप्त करते हैं। उनका आगे कहना है कि उक्त जमाबंदी नं0–31 के उत्तराधिकारी के रहते हुए जमाबंदी को फौत करते हुए बंदोवस्ती करना विधि विरूद्ध है। इसलिए उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

सौलह आना रैयतों की ओर से आवेदन दिया गया है। आवेदन में वर्णित है कि मौजा–माल करहरिया नं0–499, 454 जमाबंदी नं0–31 के अंदर दाग नं0–114 का रकवा 00–03–08 धुर, दाग नं0–124 का रकवा 00–03–08 धुर व दाग नं0–135 का रकवा 00–00–05 धुर के बीच दाग नं0–129 रकवा 00–03–03 धुर पर दुर्गा मंदिर है, जिसका निर्माण सभी ग्रामिणों ने मिलकर करीब 70 वर्ष पूर्व पूजा–अर्चना के उद्देश्य से किया गया था और उस समय से सभी ग्रामीण पूजा–अर्चना करते आ रहें हैं। उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत बुलाकी माँझी वगैरह ने दुर्गा मंदिर बनाने के लिए जमीन दिया था। आवेदन में आगे वर्णित है कि उत्तरवादी तेजनारायण माँझी पिता–स्व0 भोथरी माँझी(ग्वाला), ग्राम–करहरियामाल, थाना–गोड्डा (मु0), जिला–गोड्डा ने अपना गलत पता बताकर बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी,

... ... Godda in his Revenue Misc.

गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0–02/98–99 तेजनारायण माँझी बनाम् रैयान मौजा–माल करहरिया के अन्तर्गत सौलह आना रैयत/मौजा के खतियानी रैयत को आपत्ति हेतु नोटिश दिये बिना ही बंदोवस्ती कराया था। उत्तरवादी ग्राम–कठौन थाना नं0–466 जो गोड्डा (मु0) थाना के अन्तर्गत आता है, वहाँ पर उत्तरवादी का बोपोती जमीन है। यह भूमिहीन नहीं है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–129 की जमीन पर दुर्गा मंदिर अवस्थित है। उक्त जमीन का बंदोवस्ती नहीं होना चाहिए। उनलोगों ने मौजा–करहरियामाल नं0–449, 454 के दाग नं0–31 के अंदर दाग नं0–114, 124, 129 एवं 235 पर तेजनारायण माँझी द्वारा बंदोवस्ती को रद्द करने का अनुरोध किया है।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त संयुक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–करहरिया माल, थाना नं0–449, 454 के जमाबंदी सं0–31 कुल रकवा 00–06–16 धुर भूमि जमा0 रैयत बुलाकी मांझी वल्द नथु मांझी वो जगन मांझी वो चरना मांझी पे0–लोचन मांझी, कौम–भुईयाँ, सा0–देह के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0–02/98–99 में दिनांक 12.02.2001 को पारित आदेशानुसार उक्त खाता की भूमि खेसरा सं0–114, रकवा 00–03–08 धुर तेजनारायण मांझी, पे0–भोथरी मांझी के साथ फौत घोषित करते हुए बंदोवस्त किया गया है, तदनुसार पंजी–02 में तेजनारायण मांझी का नाम दर्ज है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। विपक्षीगण पंजी–2 रैयत तेजनारायण मांझी का पुत्र है, जिसका उक्त खेसरा पर दखल काबिज है। विपक्षीगण भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, इसका मकान, खेसरा सं0–130 में है, जो विवादित भूमि खेसरा सं0–129 से सटे हुए है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन्टरभेनर पक्षकार मोतीलाल मांझी, पिता–स्व0 चुल्हाई मांझी, मौजा–माल करहरिया, थाना नं0–449, 454 के जमाबंदी सं0–18 के जमा0 रैयत जानकी मांझी वगैरह का वंशज है। मोतीलाल मांझी की मृत्यु हो गई है। इनका संबंध विवादित खाता सं0–31 से नहीं है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा ने अपने पत्रांक–626/रा दिनांक–30.07.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–करहरियामाल थाना नं0–449, 454 के दाग नं0–129 रकवा 00–03–03 धुर जमीन पर कोई मंदिर नहीं

है बल्कि इस भूमि पर शौचालय एव विभिन्न पेड़ पौधे लगा हुआ है, जिसपर अरविन्द माँझी, पिता–स्व0 तेजनारायण माँझी का अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–02/98–99 के आधार पर दखल कब्जा है। स्थल जाँच में प्रश्नगत भमि तक आने–जाने हेतु कोई रास्ता नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि दाग नं0–129 के दक्षिण दाग नं0–130 पर अरविन्द माँझी का मकान है जो उनका पैतृक भूमि है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा–करहरियामाल थाना नं0–449, 454 के जमाबंदी नं0–31 कुल रकवा 00–06–16 धुर भूमि जमाबंदी रैयत बुलाकी माँझी वल्द नथु माँझी वो जगन माँझी वो चरना माँझी पे0–लोचन माँझी कौम–भुईया, सा0–देह के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0–2/98–99 में दिनांक–12.02.2001 को पारित आदेशानुसार उक्त खाता की भूमि खेसरा नं0–114 रकवा 00–03–08 धुर, खेसरा सं0–129 रकवा 00–03–03 धुर एवं खेसरा नं0–135 रकवा 00–00–05 धुर, कुल रकवा 00–06–16 धुर तेजनारायण माँझी, पे0–भोथरी माँझी के साथ फौत घोषित करते हुए बंदोवस्त किया गया है। तदनुसार पंजी–2 में तेजनारायण माँझी का नाम दर्ज है। जिसका लगान रसीद वर्ष 2016–17 तक निर्गत है। उत्तरवादी पंजी–2 रैयत तेजनारायण माँझी का पुत्र है जो उक्त खेसरा पर दखल काबिज है। उत्तरवादी भूमिहीन की श्रेणी में आतें हैं। इनका मकान खेसरा नं0–130 पर है। उक्त आर0एम0ए0 वाद में उत्तरवादी तृतीय पक्ष मोतीलाल माँझी, पिता–स्व0 चुल्हाई माँझी मौजा–करहरियामाल नं0–449 एवं 454 के जमाबंदी नं0–18 के जमाबंदी रैयत जानकी माँझी का वंशज है। मोतीलाल माँझी की मृत्यु हो गई है। इनका संबंध विवादित खाता सं0–31 से नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–करहरियामाल नं0–449, 454 जमाबंदी नं0–31 दाग नं0–114 रकवा 00–03–08 धुर, दाग नं0–129 रकवा 00–03–03 धुर, दाग नं0–135 रकवा 00–00–05 धुर कुल रकवा 00–06–16 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बुलाकी माँझी वल्द नथु माँझी वो जगन माँझी वो चरन माँझी पे0–लोचन माँझी के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त जमीन की बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–02/98–99 आदेश दिनांक–12.02.2001 के द्वारा तेजनारायण माँझी, पे0–भोथरी माँझी के साथ की गई है। इस अपील वाद में तृतीय उत्तरवादी के द्वारा आवेदन दिया गया है कि वे गत जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी है। लेकिन अंचल अधिकरी, गोड्डा के पत्रांक–306 दिनांक–28.08.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उत्तरवादी तृतीय पक्ष का मौजा–करहरियामाल के जमाबंदी नं0–31 के जमाबंदी रैयत से कोई संबंध नहीं है।

इस प्रकार उत्तरवादी तृतीय पक्ष का दावा स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः इनके दावा को खारिज किया जाता है।

वर्तमान वाद के अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त बंदोवस्ती के विरूद्ध आपत्ति किया गया है कि बंदोवस्ती संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 के प्रावधान के अनुरूप नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि अपीलवादगत जमीन रैयती जमीन है एवं उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत का कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उक्त जमाबंदी की जमीन को फौती घोषित किया गया है। इस आलोक में निम्न न्यायालय का फौती घोषित करने संबंधी आदेश नियम संगत प्रतीत होता है। लेकिन चूँकि प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बंदोवस्तदार तेजनारायण माँझी मौजा–करहरियामाल थाना नं0–449, 454 के रैयत नहीं हैं। बल्कि बंदोवस्तदार तेजनारायण माँझी का मूल निवास मौजा–कठौन नं0–466 में है। निम्न न्यायालय के द्वारा बंदोवस्ती में अपनाये जानेवाली प्रक्रिया का भी अनुपालन नहीं किया गया है। इसलिए उत्तरवादी तेजनारायण माँझी के साथ की गयी बंदोवस्ती नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0–02/1998–99 (तेजनारायण मांझी बनाम् रैयान मौजा–माल करहरिया) में आदेश दिनांक 12.02.2001 के द्वारा फौती घोषित करने संबंधी आदेश को यथावत रखने का आदेश दिया जाता है एवं आदेश दिनांक–12.02.2001 के द्वारा तेजनारायण माँझी के साथ की गयी बंदोवस्ती आदेश को रद्द किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि पंजी–2 में सुधार करते हुए भूमि अपने दखल कब्जा में कर लें। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा को दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

(Signed) 05.08.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

(Signed) 05.08.21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen B.K. Mishra 7/8/21

Seen 7/8/21

द0 नि0 130 11/08/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 13:33:01 +05:30
Location: 192.168.29.32